नर्मदा झाबुआ ग्रामीण बैंक

प्रधान कार्यालय : इन्दौर

चेक संग्रहण नीति

1. <u>प्रस्तावना</u>

बैंक में विद्यमान चेक संग्रहण नीति का अनुमोदन माननीय निदेशक मण्डल प्रथम बैठक दि 23.01.2013 में किया गया है। भारतीय रिजर्व बैंक के निर्देशों के अनुरुप बैंक द्वारा चेक संग्रहण नीति तैयार की गई है। यह नीति ग्राहकों के साथ व्यवहार में पारदर्शिता व निष्पक्षता बरतने के सिद्धांत पर आधारित होकर हमारी तकनीकी क्षमताओं, सीबीएस सिस्टम, व समाशोधन हेतु बैंक द्वारा की गई व्यवस्थाओं को ध्यान में रखते हुए तैयार की गई है। नीति में छोटे जमाकर्ताओं के हित संरक्षित रहें इसको सुनिश्चित किया गया है। साथ ही बैंक की जमा नीति से सहबद्ध करते हुए भारतीय बैंक संघ की मॉडल चेक संग्रहण नीति के अनुरूप तैयार किया गया है। बैंक अपने ग्राहकों को त्वरित वसूली सेवा उपलब्ध कराने के लिए प्रौद्योगिकी का अधिक से अधिक प्रयोग करने के लिए प्रतिबद्ध है। नीति विषयक इस दस्तावेज में निम्नलिखित पहलू शामिल हैं:–

- चेक ट्रंकेसन प्रणाली आधारित समाशोधन के नवीन परिदृश्य के मुताबिक चेक संग्रहण प्रक्रिया।
- बैंक की शाखाओं में स्थानीय स्तर पर देय चेकों (खरीदे गये चेकों सहित) तथा अन्य लिखतों की वसूली।
- लिखतों की वसूली के लिए समय के मानकों के संबंध में हमारी प्रतिबद्धता।
- ऐसे मामलों में ब्याज के भुगतान के नीति, जहॉ बाहर के लिखतों की प्राप्तियों की वसूली के लिए समय संबंधी मानकों को पूरा करने में बैंक विफल रहता है।
- रास्ते में खो जाने वाली वसूली संबंधी लिखतों के बारे में कार्यवाही विषयक हमारी नीति।

2. समाशोधन प्रक्रिया आसानी से सम्पन्न करने के लिए नियामको द्वारा जारी दिशानिर्देश

अ. <u>ग्रिड बेस्ड चेक ट्रंकेसन सिस्टम के सम्बंध में प्रक्रियागत दिशा निर्देश (सीटीएस)</u>

i. सीटीएस क्लेयरिंग में प्रस्तुतकर्ता बैंक द्वारा भुगतानकर्ता बैंक को मूल भौतिक विलेख/चेक के स्थान पर उसकी इमेज रिजर्व बैंक के माध्यम से भेजी जाती है।

ii. भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा नेशनल पेमेन्ट कारपोरेशन(एनपीसीआई) को सीटीएस समाशोधन का दायित्व सौपा गया है। एनपीसीआई चेक प्रोसेसिंग सेन्टर का कार्य करता है तथा सदस्य बैंकों से प्राप्त इलेक्ट्रानिक चेक/इमेजेज् की समाशोधन प्रक्रिया सम्पादित करता है। रिजर्व बैक बैंकर्स क्लियरिंग हाउस (बीसीएच) का प्रबंधन करता है, एनपीसीआई द्वारा प्रोसेस किए गये समाशोधन संव्यवहारों का निपटान (सेटलमेंट) करता है तथा नीति संम्बंधी मामलों को देखता है। ग्रिड क्लेयरिंग एक ऐसी व्यवस्था है जिसमें बैंकों को एक क्लेरिंग हाउस में उनके एक शहर की सेवा शाखा के माध्यम से विभिन्न शाहरों पर/से चेक प्रस्तुत/प्राप्त करने सुविधा प्रदान की जाती है।

iii. रिजर्व बैंक ने निर्देशित किया है कि चेक के ऊपर कोई संशोधन/परिवर्तन नहीं किया जाना चाहिए। चेक की वैधता अवधि हेतु किए जाने वाले संशोधन के अतिरिक्त आदाता के नाम, "सौजन्य (Courtesy) राशि" (अंकों में राशि), "विधिक (Legal) राशि" (शब्दों में राशि) आदि में कोई परिवर्तन वांछनीय हो तो ग्राहकों को नवीन चेक फार्म ही प्रयुक्त करना चाहिए। इससे धोखाधड़ी हेतु किए गये परिवर्तनों को पहचानने व नियंत्रित करने में मदद मिलेगी। संग्रहकर्ता बैंकों को यह सुनिश्चित करना होगा कि ऐसे चेक सीटीएस समाशोधन में प्रस्तुत करने के लिए स्वीकार न किए जाएं। यह नियम अन्य समाशोधनों यथा माइकर, नॉन माइकर, ओवर दि काउन्टर (नगद भुगतान हेतु) या समाशोधन गृहों के के बाहर सीधे संग्रहण पर लागू नहीं होंगें।

iv. निर्धारित समय सीमा से पूर्व शाखा में काउन्टर पर प्राप्त तथा चेक ड्राप बाक्स में डाले गये चेक उसी दिन समाशोधन में प्रस्तुत किए जाएगें। चेक प्रस्तुत करने की समय सीमा (यथा शाखा खुलने के तीन घंटे तक या व्यवसाय समाप्ति के एक घंटा पूर्व तक) स्थानीय स्तर पर अपनाई जाने वाली समयसीमा को ध्यान में रखते हुए शाखा प्रबंधक द्वारा अपने स्तर पर निर्धारित की जा सकती है। चेक ड्राप बाक्स पर यह लिखा जाना चाहिए कि इस समय तक डाले गये चेक उसी दिन के समाशोधन में प्रस्तुत किए जाएगें। कटऑफ समय सीमा के बाद ड्राप बाक्स में डाले गये और शाखा में प्रस्तुत किए जाने वाले चेक आगामी समाशोधन में शामिल किए जा सकेंगे।

ब. **<u>चेक ट्रंकेसन सिस्टम के तहत वर्तमान में कार्यरत ग्रिड व उनके द्वारा कव्हर किए गये राज्य/सर्कल</u>**

i. <u>उत्तरी ग्रिड : नई दिल्ली :</u> राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र नई दिल्ली, हरियाणा, पंजाब, उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड, बिहार, जम्मू व काश्मीर, झारखंड और केन्द्र शासित प्रदेश चंडीगढ। सर्कल है :छत्तीसगढ़,दिल्ली, लखनऊ और पटना

ii. दक्षिणी ग्रिड : चेन्नई :– आन्ध्र प्रदेश, तेलंगाना, कर्नाटक, केरल,तमिलनाडु, उड़िसा, पश्चिम बंगाल, उत्तर पूर्वी राज्य, आसाम और केन्द्र शासित प्रदेश पांडुचेरी। सर्कल है :– बंगलुरू, भुवनेश्वर, चेन्नई, गौहाटी, हैदराबाद, कोलकाता और तिरूवंतपुरम।

iii. पश्चिमी ग्रिंड : मुम्बई :– महाराष्ट्र, गोवा, गुजरात, मध्यप्रदेश और छत्तीसगढ। सर्कल हैं :– अहमदाबाद, भोपाल और मुम्बई।

स. **समाशोधन प्रक्रिया**

i. ग्रिड केन्द्रों पर समाशोधन हेतु प्रस्तुत चेक स्थानीय चेक माने जाएगें। इन केन्द्रों को रिजर्व बैंक द्वारा जारी बैंकर्स क्लेरिंग हाउस के एक समान नियम व विनियमन के सभी प्रावधानों का अनुपालन करना होगा।

ii. सरकार के चेक सीटीएस केन्द्रों पर "पेपर टु फोलो" सिस्टम के अधीन होंगें।

iii. बैंक की क्षतिपूर्ति नीति में स्थानीय चेकों के समाशोधन में निर्धारित अवधि से अधिक के विलम्ब पर बचत बैंक जमा दर से ब्याज भुगतान का प्रावधान है।

iv. बैंकर्स क्लेरिंग हाउस के एक समान नियम व विनियमन के **अनुलग्नक "द"** में उल्लेखित चेक वापसी के कारणों की सूची अनुबंध 01 के रूप में संलग्न की गई है।

v. चेक वापसी प्रभार केवल वहीं प्रभारित किए जाएगें जहां ग्राहक द्वारा त्रुटि की गई हो और ग्राहक ऐसे चेक वापसी के लिए जिम्मेदार हो। ऐसे कारणों को सूची जिनमें ग्राहक चेक वापसी के लिए जिम्मेदार नहीं माना जा सकता अनुबंध 02 के रूप में संलग्न है।

vi. ऐसे चेक जिन्हें आदाता से बिना सम्पर्क किए पुनः प्रस्तुत करने की आवश्यकता हो वहां अविलम्ब आगामी क्लेयरिंग में (जो कि अवकाश को छोड़कर 24 घंटे से अधिक की समयावधि में न हो) प्रस्तुत कर देना चाहिए तथा इसकी सूचना ग्राहक को एसएमएस, ईमेल आदि से दी जाना चाहिए।

vii. शाखाएं चेक/ड्राफ्ट/पेआर्डर/बैंकर्स चेक की दिनांक 01.04.2012 से वैधता अवधि 03 माह होने सम्बंधी तथ्य का ध्यान रखें।

viii. **चेकों की वापसी/अनादरण** :– शाखा को चेक रिटर्न मेमों पर चेक वापसी की तारीख का उल्लेख करते हुए मेमों पर हस्ताक्षर/आद्याक्षर किए जाने चाहिए। उक्त के साथ बैंकर्स क्लेरिंग हाउस के एक समान नियम व विनियमन के नियम 06 के अनुसार वापसी के एक निश्चित व वैध कारण का उल्लेख करते हुए आब्जेक्सन स्लिप पर हस्ताक्षर किए जाने चाहिए। इससे विलेख के धारक को चेक के आहर्ता के विरूद्ध कानूनी कार्यवाही करने में मदद मिलेगी। (कृपया पेरा 09 भी देखें)

ix. **समाशोधन में तृतीय पक्षकार चेकों का संग्रहण :– भारतीय रिजर्व बैंक ने** आदाता खाता चेक (Payees Account Only) को, चेक में नामित आदाता के अलावा किसी अन्य व्यक्ति के खाते में जमा करना प्रतिबंधित किया है। हालांकि सहकारी समितियों के सदस्यों की चेक संग्रहण सम्बंधी कठिनाइयों को कम करने के उददेश्य से रिजर्व बैंक द्वारा अधिकतम रू 50,000/तक की राशि के लिए आहरित, आदाता चेकों का संग्रह सहकारी ऋण समितियां के खाते में करने हेतु अनुमत किया है बशर्ते ऐसे चेकों के आदाता इन सहकारी ऋण समितियों के सदस्य हों। इस प्रकार के चेकों के संग्रह के लिए बैंकों के पास संबधित सहकारी ऋण समितियों द्वारा लिखित रूप से दिया गया अभिवेदन होना चाहिए कि वसूली के बाद चेकों की राशि सहकारी ऋण समिति के उसी सदस्य के खाते में क्रेडिट की जाएगी, जो चेक पर अंकित नाम के अनुसार आदाता है तथापि यह व्यवस्था परक्राम्य लिखत अधिनियम की धारा 131 की अपेक्षाओं को पूरा करने के अधीन होगी। उक्त मामले में शाखाओं को यह बात ध्यान में रखना चाहिए कि चेक के वास्तविक स्वामी द्वारा दावा किए जाने की स्थिति में वास्तविक स्वामी के अधिकार, इस प्रावधान के द्वारा किसी भी प्रकार से प्रभावित नही होते है तथा शाखाओं को यह सिद्ध करना होगा कि उन्होने संदर्भाधीन चेक का संग्रह करते समय सद्भाव से और सावधानीपूर्वक कार्य किया है।

x. बाहरी चेकों के संग्रहण में विलम्ब के लिए हमारी क्षतिपूर्ति नीति के अनुसार मांग किए जाने के बिना ही ग्राहक को क्षतिपूर्ति का भुगतान किया जाना है।

03 संग्रहण की व्यवस्था

3.1 स्थानीय चेक

शाखाओं के कांउटरों पर तथा शाखा परिसर के भीतर संग्रहण डिब्बों में निर्धारित समय सीमा से पूर्व जमा किए गए स्थानीय स्तर पर देय सभी चेक तथा अन्य परक्राम्य लिखतें, केन्द्र पर विद्यमान समाशोधन प्रणाली के माध्यम से प्रस्तुत किए जाएंगे।

चेक, जहॉ तक संभव हो सके समाशोधन के लिए उसी दिन प्रस्तुत किए जांएगे। निर्धारित समय सीमा के पश्चात तथा शाखा परिसर के बाहर लगे संग्रहण डिब्बों में जमा किए गए चेक, अगले उपलब्ध समाशोधन चक्र में प्रस्तुत किए जांएगे। नीति के रुप में, जिस दिन उस केंद्र पर समाशोधन का निपटारा होगा उसी दिन बैंक ग्राहक के खाते में धनराशि जमा कर देगी। इस प्रकार जमा की गई धनराशि को निकालने की अनुमति समाशोधन गृह के चेक वापसी संबंधी प्रक्रिया के अनुसार होगी। जहॉ कहीं लागू हो, ग्राहकों को अधिक मूल्य समाशोधन (उसी दिन जमा) की सुविधा प्रदान की जाएगी।

संबंधित शाखाएं उसी दिन समाशोधन हेतु भेजे जाने वाले चेकों की प्राप्ति के लिए निर्धारित समय सीमा को, शाखा परिसर के अंदर प्रदर्शित करेंगी। यदि बैंक द्वारा स्थापित आफ साईट एटीएम में चेक ड्राप बाक्स सुविधा दी जाती है तो उक्त बॉक्स पर निर्धारित कटऑफ समय सीमा प्रदर्शित की जाएगी। इसी प्रकार अधिक मूल्य वाले समाशोधन की प्राप्ति के संबंध में भी समय सीमा को शाखाओं में प्रदर्शित किया जाएगा।

बैंक की वे शाखाएं जो ऐसी जगहों पर स्थित हैं जहॉ समाशोधन गृह/ग्रिड आधारित समाशोधन विद्यमान नहीं है, स्थानीय चेकों को आदेशिती बैंको के कांउटर पर प्रस्तुत करेंगी तथा शाखाएं प्राप्तियों को यथाशीघ्र जमा करने का प्रयास करेंगी।

3.2 स्पीड क्लेरिंग

ऐसे बाहरी चेक जो कि विशिष्ट केन्द्र पर स्पीड क्लियरिंग में भाग लेने वाली बैंक पर आहरित हैं का संग्रहण उन चेकों को स्थानीय मानते हुए सममूल्य पर किया जाएगा। स्थानीय समाशोधन विलेख पर लागू होले वाली सभी शर्तें व नियम उक्त समाशोधन पर भी लागू होंगे।

अ. बाहर भेजे जाने वाले चेक :– सभी स्पीड क्लेयरिंग केन्द्रों पर अन्य बैंकों की बाहरी सीबीएस शाखाओं पर आहरित चेक संग्रहण के लिए स्वीकार किए जाएगें एवं ग्राहकों द्वारा जमा किए गये स्थानीय चेकों के साथ स्थानीय क्लियरिंग में समाशोधन हेतु प्रस्तुत किए जाएगें। उक्त पर रिजर्व बैंक द्वारा निर्धारित सेवा प्रभार (जो कि बैंक द्वारा भी परिपत्रित किए गये है) लागू होंगें।

ब. शाखाओं पर आहरित चेक :– ग्रिड बेस्ड समाशोधन में सेवा शाखा तथा महत्वपूर्ण केन्द्रों पर स्थित अन्य शाखाएं ऐसे विलेखों की छवि (इमेज) प्राप्त करेंगी तथा उक्त सभी बाहरी चेकों को स्थानीय चेक माना जाएगा जिनके संगहण पर कोई प्रभार लागू नहीं होगा।

3.3 बाहरी चेक

ग्रिड बेस्ड समाशोधन सिस्टम के अतिरिक्त बाहर के केन्द्रों पर दूसरे बैंकों पर आहरित चेकों की वसूली, सामान्यतः उन केंन्द्रो पर स्थित बैंक की शाखाओं के माध्यम से की जाएगी। जहॉ पर बैंक की अपनी कोई शाखा नहीं होगी, वहॉं लिखतें, वसूली के लिए सीधे आदेशिती बैंक को भेजी जाएंगी अथवा इनकी वसूली प्रतिनिधि बैंक के माध्यम से की जाएगी।

बाहरी केंन्द्रो पर बैंक की अपनी शाखाओं के नाम आहरित चेकों की वसूली, प्रचलित अंतर शाखा व्यवस्थाओं का प्रयोग करते हुए की जाएगी। ऐसी शाखांए जो केन्द्रीयकृत संसाधन व्यवस्था के माध्यम से जुड़ी हुई हैं तथा अपने ग्राहकों को कहीं भी बैंकिंग सुविधा उपलब्ध करा रहीं है, वे सीबीएस नेटवर्क वाली अपनी किन्हीं भी शाखाओं के नाम आहरित बाहरी लिखतों के संबंध में, चेक प्राप्ति दिनांक को ही जमा उपलब्ध करांएगी बशर्ते कि खाते में जमा शेष (बैलेंस) उपलब्ध हो।

3.4 विदेशो में आहरित विलेख

बैंक विदेशों में आहरित विदेशी मुद्रा के चेकों के कम समय में पूर्ण दक्षता के साथ संग्रहण करवाने के लिए प्रतिबद्ध है। ऐसे चेकों की वसूली लिंक शाखाओं/वाणिज्यिक बैंक की शाखाओं/प्रायोजक बैंक की शाखाओं के माध्यम से करवाई जा सकती है तथापि ऐसे चेकों की उगाही के पश्चात ही इनकी राशि रूपये में ग्राहक के खाते को जमा की जा सकेगी।

4.00 तत्काल जमा

4.01 **तत्काल जमा की सीमा** :– व्यक्तिगत खाता धारकों द्वारा वसूली के लिए प्रस्तुत रु. 15,000/– के कुल मूल्य तक के बाहरी चेकों/लिखतों के लिए बैंक की शाखांए/विस्तार पटल तुरंत जमा उपलब्ध कराने हेतु विचार कर सकेंगी बशर्ते कि ऐसे खातों में पिछलें छः महीने की अवधि के दौरान संचालन संतोषजनक रहा हो। इस सुविधा के तहत उपलब्ध कराया जाने वाला जमा किसी भी समय, प्रति ग्राहक रु. 15,000/– से अधिक नहीं होना चाहिए। स्थानीय चेकों के विषय में तत्काल जमा की यह सुविधा उन केन्द्रों पर भी उपलब्ध कराई जानी चाहिए जहॉं पर औपचारिक समाशोधन गृह विद्यमान नहीं है।

तत्काल जमा की सुविधा ग्राहकों के बचत खातों/चालू खातों/नगद साख खातों/ओवरड्राफ्ट खातों पर उपलब्ध कराई जाएगी। यह सुविधा देने के लिए खाते में न्यूनतम जमा शेष की कोई अलग से शर्त नहीं होगी। शाखा ग्राहक के बाहरी चेकों को संग्रहण के लिए प्राप्त करने से मना नहीं करेंगीं। इस नीति के तहत दूसरे बैंकों के मांग ड्राफ्ट, ब्याज/लाभांश अधिपत्र जैसी पूर्वदेय लिखतों पर भी, चेकों के ही समान व्यवहार किया जाएगा।

तत्काल जमा सुविधा के तहत संग्रहित चेक के अनादरित होने पर बैंक ग्राहक से उस अवधि का ब्याज प्रभारित करेंगी जिस अवधि के लिए ग्राहक द्वारा राशि प्रयुक्त की गई है अर्थात बैंक के पास ऐसी राशियॉ नही रही है। इस हेतु लागू ब्याज दर ग्राहकों को दिए जाने वाले क्लीन ओवरड्राफ्ट की दर रहेगी।

4.02 : **संतोषजनक खाते से आशय :–** इस नीति के उद्देश्य से संतोषजनक रुप से संचालित खाता उसे माना जाएगा जो निम्नलिखित मानकों को पूरा करता हो :–

- कम से कम 6 महीने पहले खोला गया हो तथा ''अपने ग्राहकों को जाने'' मानदण्डों को पूरा करता हो।
- जिसका संचालन संतोषजनक रहा हो तथा बैंक ने कभी कोई अनयिमित लेन देन न पाया हो।
- ऐसे कोई चेक/लिखतें जिनके लिए तत्काल जमा उपलब्ध कराया गया हो, वित्तीय कारणों से अदत्त (बिना भुगतान के) वापस न आए हों,
- पूर्व में किसी दिए गए ऋण की किसी धनराशि की वसूली के लिए बैंक को न तो किसी कठिनाई का सामना करना पड़ा हो और न ही तत्काल जमा उपलब्ध कराए गए किसी चेक को वापस किया गया हो।

वसूली के लिए प्रस्तुत की गई बाहर की लिखतों के लिए तत्काल जमा उपलब्ध कराते समय बैंक सामान्य वसूली प्रभार तथा फुटकर खर्चों हेतु प्रभार लगाएगा, लेकिन चेकों की खरीद के लिए लागू विनिमय प्रभारों को नहीं लगाया जाएगा।

तत्काल जमा की सुविधा स्पीड क्लेयरिंग के तहत लागू नहीं होगी।

4.03 स्थानीय/बाहरी चेक खरीद सुविधा : बैंक विवेकपूर्ण तरीके से ग्राहक के विशिष्ट आवेदन पर या पूर्व से जारी व्यवस्था के अन्तर्गग्त स्थानीय/बाहरी चेक को खरीद कर सकता है। चेक की ऐसी खरीद करते समय ग्राहक के संतोषजनक व्यवहार के अलावा उसकी हेसियत भी देखी जाएगी।

5.00 *स्थानीय/बाहरी चेकों/लिखतों की वसूली के लिए समय सीमा*

समाशोधन गृह की सीमा में आने वाले सभी स्थानीय चेक समाशोधन गृह के माध्यम से प्रस्तुत किए जाएगें। स्थानीय चेक की आगम ग्राहक के खाते में एक दिन बाद (T+1) आधार पर जमा की जाएगी। आगामी दिवस की रिटर्न क्लेयरिंग का समय समाप्त होने के बाद या तीसरे दिन व्यवसाय प्रारम्भ के अधिकतम एक घंटे के अन्दर ग्राहक को आगम के उपयोग की अनुमति दी जाएगी।

स्थानीय चेकों के संग्रहण में विलम्ब की दशा में निम्नानुसार दर से क्षतिपूर्ति की जाएगी :–

संग्रहण में विलम्ब	क्षतिपूर्ति की दर
04 से 07 दिन	बचत बैंक जमा पर लागू दर
08 से 90 दिन	अवधि हेतु लागू सावधि जमा ब्याज दर
90 दिन से अधिक	अवधि हेतु लागू सावधि जमा दर + 02%

वसूली के लिए भेजे गए चेकों व लिखतों के लिए आमतौर पर समय संबंधी निम्नलिखित मानदण्ड लागू होंगे–

- चार बड़े मेट्रो केंद्रों (दिल्ली, मुम्बई, कलकत्ता एवं चैन्नई) पर प्रस्तुत और अन्य तीन केन्द्रों पर आहरित – अधिकतम अवधि 07 दिन
- अन्य मेट्रो केंद्र व राज्यों की राजधानियॉं (पूर्वोतर व सिक्किम राज्यों को छोड़कर)–अधिकतम अवधि 10 दिन
- अन्य दूसरे केंद्रो में – अधिकतम अवधि 14 दिन
- विदेशो में आहरित चेक – ऐसी लिखतें वसूली के लिए बेहतर प्रयास के आधार पर स्वीकार की जाती हैं। ऐसी लिखतों की त्वरित वसूली के लिए बैंक अपने प्रतिनिधि बैंक/बैंकों के साथ मिलकर वसूली की विशेष व्यवस्था करेगा। प्रतिनिधि बैंक/बैंकों के माध्यम से बैंक के खाते में प्राप्तियॉं जमा हो जाने पर, बैंक पार्टी को जमा प्रदान करेगा। ऐसा करते समय व संबंधित देशों में लागू होल्ड अवधि को ध्यान में रखेगा तथा ग्राहक को उक्त से अवगत करवाया जाएगा।

चाहे चेक/लिखत बैंक की अपनी शाखाओं के नाम आहरित हो अथवा दूसरे बैंकों की शाखाओं के नाम दोनों ही स्थितियों में समय संबंधी उपर्युक्त मानदंड लागू होंगे।

5.01 *<u>बाहरी चेकों की विलम्ब से वसूली होने पर ब्याज का भुगतान</u>*

यदि उपर उल्लिखित समयावधि के बाद विलम्ब से कोई जमा प्रदान की जाती है तो ऐसी स्थिति में बैंक की क्षतिपूर्ति नीति के एक भाग के रूप में वसूली हेतु प्रस्तुत लिखतों की राशि पर बैंक को अपने ग्राहक को ब्याज देना होगा। इस प्रकार के ब्याज का भुगतान बिना ग्राहको के मांगे स्वतः ही करना होगा। यह सभी प्रकार के खातों पर प्रभावी है। विलम्ब से वसूली होने पर ब्याज के भुगतान के उद्देश्य सें बैंक की अपनी शाखाओं के नाम आहरित लिखतों तथा दूसरे बैंको के नाम आहरित लिखतों के बीच कोई विभेद नहीं किया जाएगा।

5.02 विलम्ब से वसूली होने पर ब्याज का भुगतान :–निम्नलिखित दरों से किया जाएगाः–

- बाहरी चेकों की वसूली में 7/10/14 दिनों से ज्यादा विलम्ब होने पर, जैसी भी स्थिति हो, देरी की अवधि के लिए बचत खाता दर से ब्याज का भुगतान किया जाएगा।
- यदि विलम्ब की अवधि 14 दिनों से ज्यादा की हो तो तदनुरुपी मियादी जमा दर (विलम्ब की अवधि हेतु लागू) से 2 प्रतिशत ज्यादा की दर से ब्याज का भुगतान किया जाएगा।
- असाधारण विलम्ब अर्थात 90 दिनों से ज्यादा की देरी होने पर तदनुरुपी मियादी जमा दर (विलम्ब की अवधि हेतु लागू) से 2 प्रतिशत ज्यादा की दर से ब्याज का भुगतान किया जाएगा।
- यदि वसूली किए जाने वाले चेक की प्राप्तियां ग्राहक के ओवरड्राफ्ट/नगद जमा/ऋण खाते में जमा की जानी थीं, तो ऐसी स्थिति में ओवरड्राफ्ट/नगद जमा/ऋण खाते पर लागू ब्याज दर से ब्याज दिया जाएगा परन्तु यदि असाधारण विलम्ब हो तो ओवरड्राफ्ट/नगद जमा/ऋण खाते पर लागू ब्याज दर से 2 प्रतिशत ज्यादा की दर से ब्याज का भुगतान किया जाएगा।

इस बात का ध्यान रखा जाए कि उपर उल्लिखित ब्याज का भुगतान केवल भारत के भीतर वसूली के लिए भेजे गए लिखतों पर ही लागू है। ब्याज का भुगतान केवल तभी किया जाएगा जब कि लिखतों की राशि 10 रु. या इससे ज्यादा हो।

06. <u>रास्ते में/समाशोधन प्रक्रिया में अथवा अदाकर्ता बैंक की शाखा में खो जाने वाले चेक/लिखतें</u>

यदि वसूली के लिए स्वीकार किया गया कोई चेक या लिखत रास्ते में या समाशोधन प्रक्रिया में अथवा अदाकर्ता बैंक की शाखा में खो जाता है, तो इसके खोने की जानकारी प्राप्त होने पर, शाखा इसकी सूचना तुंरत खाताधारक को देगी, ताकि खाताधारक 'भुगतान रोको (Stop Payment)' रिकार्ड करवाने हेतु, आहर्ता को सूचित कर सके । साथ ही खाताधारक उन चेकों का भी ध्यान रख सके, यदि कोई हों, जिसे उसने जारी किया है, ताकि खोए हुए चेकों/लिखतों की आगम जमा न होने से, जारी किए गए ये चेक अनादरित न हों। चेक के आहर्ता से लिखत की दूसरी प्रति प्राप्त करने में बैंक ग्राहक को पूरी सहायता प्रदान करेगा।

बैंक की क्षतिपूर्ति नीति के अनुपालन में रास्ते में खो जाने वाली लिखतों के विषय में बैंक ग्राहक को निम्नलिखित तरीके से क्षतिपूर्ति करेगा :–

- यदि लिखत खोने की सूचना ग्राहक को वसूली के लिए निर्धारित समय सीमा (7/10/14 दिन जैसी स्थिति हो) के बाद दी गई है, तो ऐसी स्थिति में वसूली के लिए निर्धारित समय अवधि के बाद की अवधि के लिए, बैंक ग्राहक को ब्याज का भुगतान करेगा। ब्याज की दरें ऊपर बताए गए अनुसार होंगी।
- इसके अलावा बैंक चेक की राशि पर और अगले 15 दिनों की अवधि के लिए बचत बैंक दर पर ब्याज का भुगतान करेगी, ताकि चेक/लिखत की दूसरी प्रति प्राप्त करने और उसकी वसूली में लगने वाले समय की भरपाई की जा सके।
- यदि लिखत की दूसरी प्रति किसी बैंक/संस्था से प्राप्त किया जाना हो जो कि लिखत की दूसरी प्रति जारी करने के बदले शुल्क लेता हो, तो ऐसा स्थिति में यदि ग्राहक को चेक/लिखत की दूसरी प्रति प्राप्त करने हेतु किसी प्रकार का तर्कसंगत शुल्क देना पड़ा हो, तो इस संबंधी रसीद प्रस्तुत करने पर बैंक ग्राहक को ऐसे तर्कसंगत शुल्क की प्रतिपूर्ति भी करेगी।

07. <u>अप्रत्याशित घटना</u>

यदि कुछ अप्रत्याशित घटना (नागरिक उपद्रव, तोड़फोड़ तालाबंदी, हडताल या अन्य श्रमिक विक्षोभ, दुर्घटना, आग लगना, प्राकृतिक आपदाएं अथवा दूसरी, दैवीय दुर्घटना, युद्ध, बैंक अथवा इसके प्रतिनिधि बैंक/बैंकों की सुविधाओं का न होना इत्यादि) जो कि बैंक के नियंत्रण से बाहर हो, और सेवा प्रदान करने हेतु निर्धारित मानंदडो के भीतर रहकर बैंक को अपनी जिम्मेदारियां पूरा करने में बाधा पंहुचा रही हो, की वजह से जमा प्रदान करने में विलम्ब हुआ हो, तो ऐसी स्थिति में इस प्रकार के विलम्ब के लिए बैंक ग्राहकों को क्षतिपूर्ति प्रदान करने के लिए जिम्मेदार नहीं होगी।

08. <u>त्वरित जमा प्रदान किए गए चेकों के बिना भुगतान के वापस आने पर ब्याज लगाया जाना।</u>

i. यदि वसूली के लिए भेजा गया चेक, जिसके लिए बैंक द्वारा त्वरित जमा प्रदान किया गया हो, बिना भुगतान के वापस आ जाता है, तो इस चेक के मूल्य की राशि तुरंत खाते में नामे (डेबिट) की जाएगी। ग्राहक से त्वरित जमा प्रदान करने की तारीख से लेकर लिखत के वापस आने की तिथि तक कोई ब्याज नहीं लिया जाएगा जब तक कि निधियों के आहरण की वजह से बैंक निधियों से वंचित न हो गया हो। यदि प्रारंभ में जमा प्रदान नहीं किया गया हो तो खाते में आनुमानिक ओवरड्राफ्ट जमा शेषों पर ब्याज, जहां लागू हो, लगाया जाएगा।

ii. यदि किसी चेक के लिए तुरंत जमा उपलब्ध कराया गया हो और वह चेक अस्वीकृत हो जाता है तो ऐसी स्थिति में जिस अवधि तक बैंक निधियों से वंचित रहा है, उस अवधि के लिए बैंक ग्राहक से ब्याज की वसूली करेगा। इसके लिए ब्याज की दर व्यक्तिगत ग्राहकों के लिए स्वीकृत क्लीन ओवरड्राफ्ट सीमा के लिए लागू ब्याज दर के बराबर होगी।

iii. यदि चेक की प्राप्तियों को बचत बैंक खाते में जमा किया गया हो और उसे आहरित न किया गया हो तो चेक के बिना भुगतान के वापस अपने पर इस प्रकार जमा की गई राशि पर ब्याज का भुगतान नहीं किया जाएगा। यदि प्राप्तियों को किसी अधिविकर्ष (ओवरड्रफ्ट)/नगद जमा/ऋण खाते में जमा किया गया हो और चेक/लिखत बिना भुगतान के वापस कर दी गई हो, तो जमा प्रदान की तारीख से लेकर प्रविष्टि के प्रतिवर्तन तक की तारीख तक के लिए ओवरड्राफ्ट/नगद जमा/ऋण खाते के लिए लागू ब्याज दर से 2 प्रतिशत ज्यादा की दर पर ब्याज उस सीमा तक वसूला जाएगा, जितना कि बैंक निधियों से वंचित रहा हो।

09. **चेकों को नकारना– क्रियाविधि–**

09.01 नकारे गए चेकों को लौटाना–

i. नकारे गए लिखत ग्राहकों को बिना विलम्ब तुरन्त तथा किसी भी स्थिति में 24 घण्टों के भीतर लौटाए जाने संबंधी गोइपोरिया समिति की सिफारिश को कार्यान्वित करना शाखाओं के लिए आवश्यक है।

ii. शाखाएं निधि की कमी के कारण नकारे गए लिखतों से संबंधित विद्यमान अनुदेशों का पालन करें।

09.02 नकारे गए चेकों के लौटाने/प्रेषण के लिए क्रियाविधि–

i. अदाकर्ता बैंक को समाशोधन गृहों के जरिए प्रस्तुत तथा नकारे गए चेकों को समाशोधन गृहों के लिए समरूप विनियमावली और नियमों के अंतर्गत संबंधित समाशोधन गृह के लिए निर्धारित वापसी नियमावली के अनुसार ही लौटाए जाएंगे। ऐसे नकारे गए चेक प्राप्त होने पर वसूलीकर्ता बैंक शाखा को उक्त चेक आदाताओं/धारकों के पास तुरन्त भेजे जाएगें।

ii. शाखा के दो खातों के बीच अन्तरण के रूप में लेनदेन के निपटान के लिए अदाकर्ता बैंक को सीधे प्रस्तुत किए गए चेकों का जहां तक सबंध है, नकारे गए चेक आदाताओं/धारकों को तुरन्त वापस किए जाएगें।

iii. चेको के नकारे जाने/वापसी के मामले में बैंकर समाशोधन गृहों के लिए समरूप विनियमावली और नियमों के नियम 6 में निर्धारित किए गए अनुसार अदाकर्ता बैंक को वापसी मेमो/आपत्ति पर्ची पर वापसी के कारण का कोड स्पष्ट रूप से दर्शाए जाएगें और उस पर शाखा के अधिकारियों के हस्ताक्षर/आद्याक्षर भी होने चाहिए।

09.03 नकारे गए चेकों के बारे में जानकारी– रू 5 लाख व अधिक की राशि के प्रत्येक नकारे गए चेक से संबंधित आंकडों को ग्राहकों से संबंधित एमआईएस का भाग बनाया जाएगा और शाखाओं को ऐसे आंकडों को अपने संबंधित क्षेत्रीय कार्यालय/प्रधान कार्यालय को सूचित किया जाएगा।

शाखाओं को शेयर बाजारों के पक्ष में आहरित तथा नकारे गए चेकों से संबंधित आंकड़ों का समेकन,ब्रोकर संस्थाओं से संबंधित अपने एम आई एस के भाग के रूप में ऐसे चेकों के मूल्य का विचार किए बिना करना है तथा अपने अपने क्षेत्रीय कार्यालयों/ प्रधान कार्यालय को इसकी सूचना भेजनी होगी।

09.04 **रू 05 लाख व उससे अधिक मूल्य के चेकों को बारंबार नकारने की घटना पर कार्रवाई करना–**

ग्राहकों में वित्तीय अनुशासन लागू करने की दृष्टि से चेक सुविधा वाले खातों के परिचालन के लिए एक शर्त रखी गई है कि आहरणकर्ता के विशिष्ट खाते पर आहरित रू 05 लाख या इससे अधिक के मूल्यवाले चेक का खाते में पर्याप्त निधि न होने कारण वित्तीय वर्ष के दौरान **चार बार** नकारे जाने की स्थिति में नयी चेक बुक जारी नहीं की जाएगी। साथ ही, शाखा गुणदोष के आधार पर खाते को बंद करने पर भी विचार कर सकती हैं। तथापि, अग्रिम खातों, जैसे कि नकदी ऋण खाते, ओवर ड्राफ्ट खाते के संबंध में इन ऋण सुविधाओं और इन खातों से संबंधित चेक सुविधा के जारी रखने अथवा नहीं रखने की समीक्षा मंजूरी कर्ता प्राधिकारी से उच्चतर प्राधिकारी द्वारा की जाएगी। उल्लेखनीय है कि भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा अधिसूचना क्र आरबीआई/2016–17/33 बैंविवि.सं.एलईजी.बीसी.3/09.07.005/ 2016–17 दिनांक 04 अगस्त 2016

के माध्यम से उक्त क्रियाविधि में संशोधन करते हुए खाता धारकों के चेकों को नकारने के संबंध में बैंकों की प्रतिक्रिया के निर्धारण के लिए बैंकों को स्वतंत्रता प्रदान की गई है। तदनुसार बैंक द्वारा उक्त सीमा राशि रू 05 लाख निर्धारित की गई है।

i. विद्यमान खातों के परिचालन में उक्त शर्त को लागू करने के लिए नई चेक बुक जारी करते समय शाखा एक पत्र जारी करेगी जिसमें उक्त नई शर्त के संबंध में ग्राहकों को सूचित किया गया हो।

ii. किसी वित्तीय वर्ष के दौरान आहरणकर्ता के किसी खाते पर तीसरी बार चेक नकारा गया हो तो शाखा संबंधित ग्राहक को सावधानी संबंधी सूचना दें जिसमें उनका ध्यान पूर्वोक्त शर्त की ओर और वित्तीय वर्ष के दौरान उसी खाते पर चौथी बार चेक के नकारे जाने से चेक सुविधा के बंद किए जाने की ओर आकर्षित किया जाए। यदि शाखा उस खाते को बंद करना आवश्यक समझती है तो इसी प्रकार की सतर्कता सूचना जारी करे।

09.05 **रू 5 लाख से कम मूल्य के चेकों को बारंबार नकारने की घटना पर कार्रवाई करना**–चूंकि रू 05 लाख से कम मूल्य के चेकों का बार बार नकारा जाना भी चिन्ता का विषय है, इसलिए शाखाओं द्वारा उन खातों के संबंध में उचित कार्रवाही करना आवश्यक है जिनमें चेक नकारे जाने की ऐसी घटनाएं होती है। इसके अलावा यद्यपि छोटे चेकों के लिए उक्त बिन्दु 09.4 के सभी उपायों को लागू करना आवश्यक नहीं होगा, तथापि नियम न मानने वाले ग्राहकों के संबंध में कार्रवाई करने के लिए शाखाएं क्षेत्रीय प्रबंधक को अनुशंसा कर सकती है जिनके द्वारा गुणदोष के आधार पर उपयुक्त निर्णय लिया जाएगा। उक्त में ईसीएस अधिदेशों के बार बार नकारे जाने से संबंधित मामलों की जाने वाली कार्रवाई भी शामिल की जाएगी।

नकारे गए चेक से संबंधित किसी भी कार्यवाही में किसी शिकायतकर्ता(अर्थात आदाता/नकारे गए चेक का धारक) की ओर से चेक को नकारने के तथ्य को सिद्ध करने के लिए किसी न्यायालय, ग्राहक मंच अथवा किसी अन्य सक्षम प्राधिकारी के समक्ष प्रमाण प्रस्तुत करने के लिए शाखाओं द्वारा संपूर्ण सहयोग दिया जाना चाहिए और चेकों को नकारे जाने के तथ्य के दस्तावेजी प्रमाण भी देने चाहिए।

09.06 **नकारे गए चेकों पर कार्रवाई करने के लिए समुचित क्रियाविधि बनाना–** शाखाएं नकारे गए चेकों पर कार्रवाई करने के लिए नियमानुसार समुचित क्रियाविधि का पालन करे, जिसमें आदाता/धारक को चेक के नकारे जाने के तथ्य की सूचना को रोकने या उसमें विलंब करने अथवा नकारे गए चेक के उसे लौटाने में विलम्ब करने के लिए चेक के आहरणकर्ता के साथ बैंक के स्टाफ अथवा किसी अन्य व्यक्ति की मिलीभगत होने की किसी भी गुंजाईश का निवारण किया जा सके।

10. <u>बैंक प्रभार आदि</u>

समय–समय पर निर्धारित सेवा प्रभार को पूरी तरह से वसूला जाएगा।

11. **नीति की समीक्षा** : नियामकों द्वारा किए जाने वाले परिवर्तनों को ध्यान में रखते हुए समय समय पर नीति की समीक्षा की जाएगी।

–0–0–0–

Code No	Reason for Return	वापसी के कारण
(01-03)	**Funds**	**निधियां**
01	Funds insufficient	अपर्याप्त निधियॉ
02	Exceeds arrangement	व्यवस्था के अनुरूप नहीं
03	Effects not cleared, Present again	खाते में आगम जमा होना शेष पनः प्रस्तुत करें
(04-09)	**Reference to Drawer**	**अदाता को सन्दर्भित**
04	Refer to Drawer	आदाता से सम्पर्क करें
05	Kindly contact Drawer/Drawee Bank & Please present again	कृपया आदाता/आदाता के बेंक से सम्पर्क करें और कृपया पुनः प्रस्तुत करें।
(10-19)	**Signature**	**हस्ताक्षर**
10	Drawer's signature incomplete	आहर्ता के हस्ताक्षर अधूरे हैं
11	Drawer's signature illegible	आहर्ता के हस्ताक्षर पठनीय नहीं हैं
12	Drawer's signature differs	आहर्ता के हस्ताक्षर में अन्तर है
13	Drawer's signature required	आहर्ता के हस्ताक्षर चाहिए
14	Drawer's signature not as per mandate	आहर्ता के हस्ताक्षर अधिदेश अनुसार नहीं है
15	Drawer's signature to operate account not received	खाता संचालन हेतु आहर्ता के हस्ताक्षर प्राप्त नहीं है।
16	Drawer's authority to operate account not received	खाता संचालन हेतु आहर्ता की अनुमति प्राप्त नहीं है।
17	Alteration require drawer's authentication	संशोधन पर आहर्ता से पुष्टि चाहिए।
(20-29)	**Stop Payment**	**भुगतान रोको आदेश**
20	Payment stopped by drawer	आहर्ता द्वारा भुगतान रोका गया
21	Payment stopped by attachment order	अटेचमेंट आर्डर से भुगतान रोका गया
22	Payment stopped by court order	न्यायीन आदेश से भुगतान रोका गया
23	Withdrawal stopped owing to death of account holder	खाताधारक की मृत्यु से आहरण पर रोक
24	Withdrawal stopped owing to lunacy of account holder	खाताधारक के अस्वस्थ मष्तिष्क के कारण आहरण पर रोक
25	Withdrawal stopped owing to insolvency of account holder	खाताधारक के दिवालिया होने से आहरण पर रोक
(30-49)	**Instrument**	**विलेख**
30	Instrument post dated	विलेख उत्तर दिनांकित है
31	Instrument out dated/stale	विलेख गतावधि है
32	Instrument undated/ without proper date	विलेख दिनांकित नहीं/उपयुक्त दिनांक नहीं है
33	Instrument mutilated; requires Bank's guarantee	विलेख खराब अवस्था में : बैंक की गारन्टी चाहिए
34	Cheque irregularly drawn/ amount in words and figures differs	अनियमित आहरण/शब्दों व अंकों में लिखी राशि में अन्तर
35	Clearing House stamp/ date required	समाशोधन गृह की स्टाम्प/तिथि आवश्यक
36	Wrongly delivered/ Not drawn on us	गलत प्रस्तुति/हम पर आहरित नहीं
37	Present in proper zone	सही झोन में प्रस्तुत करें
38	Instrument contains extraneous matter	विलेख पर असंगत तथ्य मौजूद हैं
39	Image not clear, present again with paper	छवि साफ नहीं, पेपर के साथ दोबारा प्रस्तुत करें
40	Present with document	दस्तावेज के साथ प्रस्तुत करें
41	Item listed twice	दो बार सूचीकरण किया गया
42	Paper not received	पेपर प्राप्त नहीं
(50-59)	**Account**	**खाता**
50	Account closed	खाता बन्द
51	Account transferred to another branch	खाता दूसरी शाखा को अन्तरित
52	No such account	ऐसा कोई खाता हमारी शाखा में नहीं है
53	Title of account required	खातेदार का नाम उल्लेखित करें

54	Title of account wrong/ incomplete	खातेदार का नाम गलत/अपूर्ण
55	Account blocked (situation covered in 21-25)	खाता अवरूद्ध (परिस्थितियॉ 21–25 में कवर की गई)
(60-69)	**Crossing/Endorsement**	**रेखांकन/पृष्ठांकन**
60	Crossed to two banks	दो बैंकों के पक्ष में रेखांकन
61	Crossing stamp not cancelled	रेखांकन स्टाम्प रद्द नहीं
62	Clearing stamp not cancelled	समाशोधन स्टाम्प रद्द नहीं
63	Instrument specially crossed to another bank	विलेख अन्य बैंक के पक्ष में विशिष्ट रेखंकित है
64	Amount in protective crossing incorrect	रक्षित रेखांकन में राशि त्रुटिपूर्ण है
65	Amount in protective crossing required/illegible	रक्षित रेखांकन में राशि आवश्यक/पात्र
66	Payee's endorsement required	आदाता का पृष्ठांकन आवश्यक
67	Payee's endorsement irregular / requires collecting bank's confirmation	आदाता का पृष्ठांकन अनियमित/संग्रहकर्ता बैंक की पुष्टि आवश्यक
68	Endorsement by mark/ thumb impression requires attestation by Magistrate with seal	निशानी/अंगूठा निशानी द्वारा किए गये पृष्ठांकन पर मजिस्ट्रेट का सील सहित सत्यापन आवश्यक
(70-79)	**RBI /Government**	**रिजर्व बैंक/सरकार**
70	Advice not received	एडवाइस अप्राप्त
71	Amount / Name differs on advice	एडवाइस में राशि/नाम में अन्तर
72	Drawee bank's fund with sponsor bank insufficient	प्रायोजक बैंक के साथ आहरणकर्ता बैंक की निधियॉ अपर्याप्त
73	Payee's separate discharge to bank required	आदाता की ओर से बैंक को पृथक उन्मोचन आवश्यक
74	Not payable till 1st proximo	आगामी 01 तारीख तक देय नहीं
75	Pay order/ cheque requires counter signature	पे आर्डर/चेक पर प्रति हस्ताक्षर आवश्यक
76	Required information not legible/ correct	वांछित जानकारी पठनीय/सही नहीं
(80-99)	**Miscellaneous**	**विविध**
80	Bank's certificate ambiguous/ incomplete/ required	बैंक का प्रमाणन अस्पष्ट/अपूर्ण/आवश्यक
81	Draft lost by issuing office/ confirmation required from issuing office	जारीकर्ता कार्यालय द्वारा ड्राफ्ट गुम/जारी कर्ता की पुष्टि चाहिए
82	Bank/Branch blocked	बैंक/शाखा अवरूद्ध
83	Digital Certificate Validation failure	डिजिटल सर्टिफिकेट वेलिडेसन फेल
84	Other reasons-connectivity failure	अन्य कारण – कनेक्टिविटि उपलब्ध नहीं
85	Alterations on instrument- Other than "Date" field (Alteration/correction on instruments are prohibited under Cheque Truncation System. Return reason code applicable to instruments presented in CTS)	विलेख पर दिनांक के अलावा अन्य संशोधन (सीटीएस समाशोधन में विलेख पर कोई संशोधन/त्रुटि सुधार मान्य नहीं है) । वापसी का यह कोड सीटीएस में प्रस्तुत विलेखों हेतु मान्य है।
86	Fake/Forged/Stolen-draft/cheque/cash order/interest warrant/dividend warrant	ड्राफ्ट/चेक/नगद आदेश/ब्याज वारंट/लाभांश वारन्ट – नकली/फर्जी/चुराया हुआ
87	'Payee's a/c credited'- Stamp required	**"आदाता का खाता जमा किया गया"** – स्टाम्प आवश्यक
88	Other reasons (Please specify)	अन्य कारण (स्पष्ट करें)
92	Bank Excluded	बैंक पृथक किया गया

चेक वापसी के ऐसे कारणों की उदाहरणात्मक सूची (जो कि विस्तृत नहीं है) जिसमें ग्राहक की कोई त्रुटि न हो

Code	Reason for Return	वापसी के कारण
33	Instrument mutilated; requires bank's guarantee	विलेख खराब अवस्था में : बैंक की गारन्टी चाहिए
35	Clearing House stamp/date required	समाशोधन गृह की स्टाम्प/तिथि आवश्यक
36	Wrongly delivered/ not drawn on us	गलत प्रस्तुति/हम पर आहरित नहीं
37	Present in proper zone	सही झोन में प्रस्तुत करें
38	Instrument contains extraneous matter	विलेख पर असंगत तथ्य मौजूद हैं
39	Image not clear ; present again with paper	छवि साफ नहीं, पेपर के साथ दोबारा प्रस्तुत करें
40	Present with document	दस्तावेज के साथ प्रस्तुत करें
41	Item listed twice	दो बार सूचीकरण किया गया
42	Paper not received	पेपर प्राप्त नहीं
60	Crossed to two banks	दो बैंकों के पक्ष में रेखांकन
61	Crossing stamp not cancelled	रेखांकन स्टाम्प रद्द नहीं
62	Clearing stamp not cancelled	समाशोधन स्टाम्प रद्द नहीं
63	Instrument specially crossed to another bank	विलेख अन्य बैंक के पक्ष में विशिष्ट रेखांकित है
67	Payee's endorsement irregular/ requires collecting bank's confirmation	आदाता का पृष्ठांकन अनियमित/संग्रहकर्ता बैंक की पुष्टि आवश्यक
68	Endorsement by mark/ thumb impression requires attestation by Magistrate with seal	निशानी/अंगूठा निशानी द्वारा किए गये पृष्ठांकन पर मजिस्ट्रेट का सील सहित सत्यापन आवश्यक
70	Advice not received	एडवाइस अप्राप्त
71	Amount/ Name differs on advice	एडवाइस में राशि/नाम में अन्तर
72	Drawee bank's fund with sponsor bank insufficient(applicable to sub-members)	प्रायोजक बैंक के साथ आहरणकर्ता बैंक की निधियॉ अपर्याप्त (उप–सदस्य पर लागू)
73	Payee's separate discharge to bank required	आदाता की ओर से बैंक को पृथक उन्मोचन आवश्यक
74	Not payable till 1st proximo	आगामी 01 तारीख तक देय नहीं
75	Pay order/cheque requires counter signature	पे आर्डर/चेक पर प्रति हस्ताक्षर आवश्यक
76	Required information not legible/correct	वांछित जानकारी पठनीय/सही नहीं
80	Bank's certificate ambiguous/ incomplete/required	बैंक का प्रमाणन अस्पष्ट/अपूर्ण/आवश्यक
81	Draft lost by issuing office; confirmation required from issuing office	जारीकर्ता कार्यालय द्वारा ड्राफ्ट गुम/जारी कर्ता की पुष्टि चाहिए
82	Bank/ Branch blocked	बैंक/शाखा अवरूद्ध
83	Digital Certificate validation failure	डिजिटल सर्टिफिकेट वेलिडेसन फेल
84	Other reasons-connectivity failure	अन्य कारण – कनेक्टिविटि उपलब्ध नहीं
87	'Payee's a/c Credited'-Stamp required	आदाता का खाता जमा किया गया – स्टाम्प आवश्यक
92	Bank excluded	बैंक पृथक किया गया

(Approved in 23rd Board meeting dated 27.10.2016)